लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
057/2022 (GCMS 2022/274)	29.08.2022	14.09.2022

अनवान

कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.07.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./057/2022(सू.अ.)(14.09.2022)/665 दिनांक 29.08.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 14.09.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 14.09.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांकः एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/820 दिनांक 08.09.2022 से कमेन्ट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार है–

1. यह कि प्रार्थी कैलाश चन्द्र डाड पिता गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 02.07.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 11.07.2022 को प्राप्त होना सही हैं।

2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना के संबंध में न्यायालय, अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एडीएम/सरिश्ता/प्र.सं./63/2014(रा.प्रा.पत्र) (25.08)/435 दिनांक 25.08.2022 से प्राप्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/284 दिनांक 26.08.2022 से प्रार्थी को निःशुल्क भिजवाई जा चुकी हैं। (पत्र की प्रति संलग्न हैं।)

3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाने के उपरान्त इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं।

4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांकः एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/820 दिनांक 08.09.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन द्वारा वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/284 दिनांक 26.08.2022 से अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गयी हैं। साथ ही रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किये जाने पर भी अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित नहीं आए, जिसके कारण अपीलार्थी की ओर से कोई भी जवाब/खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब/कमेण्ट्स एवं उनके सलंग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन से वांछित सूचना उसको उपलब्ध करा दी गयी है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **14.09.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
14.09.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official